न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 101/2018

दलीप सिंह पुत्र राम सिंह जाति रावल निवासी दुलीपुरकेरी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर। — अपीलांट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र सुखाराम जाति नायक साकिन रेणूंका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर
दिनांक 16.07.2018

उपस्थिति—
श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलांट
श्री तेजा सिंह अभिभाषक रेस्पों.सं. 1
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 1.07.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए धारा 63 राज.काश्त.अधि. एवं राज. भू—राजस्व निष्क्रात भूमि का स्थायी आवंटन अधि. 1963 के 5ए(2) के तहत पेश कर कथन किया कि चक 8 सी बडी मु.नं. 54 में कि.नं. 1 से 10 एवं मु.नं. 56 में कि.नं. 2 से 7, 14 से 17, 21 से 25 कुल 25.00 बीघा रकबा भारत सरकार द्वारा प्रतिवादी के पिता सुखराम को अलोट किया गया था। जमीन की समस्त किश्तें जमा करवा दी थी जमीन का कोई बकाया नहीं है तथा सुखराम एवं उसके भाई हेमाराम ने दिनांक 25.09.1974 को तमाम राशि प्राप्त करके जमीन का कब्जा वादी तथा वादी के भाई बचनसिंह तथा अरजनसिंह को सौंप दिया। तब से जमीन कब्जा वादी तथा उसके भाईयों के पास चला आ रहा है। वादी के दोनों भाईयों का स्वर्गवास हो गया तथा अब वर्तमान में जमीन का कब्जा वादी के पास है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अतः निवेदन है कि वाद पत्र की मद सं. 'क' से 'घ' तक वाद डिक्री किया जावे।

(A) राजपैरोकार नायब तहसीलदार चुनावढ द्वारा वाद का जबाब 14 बिन्दुओं में देते हुए निवेदन किया कि दावा खारिज योग्य है और दावा खारिज करने का निवेदन किया।

(B) प्रतिवादी सं. 1 गंगाराम ने दावे का जबाब 14 बिन्दुओं में दिया तथा काउन्टर क्लेम के सम्बन्ध में बिन्दु सं. 15, 16 में अपना कथन कर, जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम डिग्री कर प्रतिवादी को कब्जा दिलाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

(C) उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अधी. न्यायालय ने दिनांक 16.07.2018 को वादपत्र एवं काउण्टर क्लेम निरस्त करने के आदेश दिये।

(D) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i)विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों एवं दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी है। रेस्पों. का यह कहना कि अपीलांट द्वारा खाली स्टाम्प पर अंगूठा लगवाकर फर्जी इकरारनामा तहरीर व तस्टीक करवाया है। जबाब दावा आने के बाद अधी.न्यायालय द्वारा तनकी सं. 6 कायम की गई जिस पर अपीलांट के स्वयं के ब्यान करवाये गये तथा गवाह सोहन सिंह , गुरजण्ट सिंह तथा रणजीत सिंह के शपथ पत्र आ. 18 नि. 4 सीपीसी के तहत पेश किये। चारों गवाहों के ब्यान करवाये तथा रेस्पों. ने खुद बयान दिये।

विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा तनकीयात का सही विवेचन कर निर्णय पारित नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर दावा स्वीकार करने के आदेश दिये जावे।

(ii) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा तनकीयात का सही विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। वादग्रस्त भूमि सुखाराम गंगाराम को आवंटित हुई थी जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जाति के हरीजन है। अपीलांट सवर्ण जाति का है। हरीजन को अवंटित भूमि हरीजन ही कय कर सकता है सवर्ण जाति का व्यक्ति हरीजन की भूमि कय नहीं कर सकता। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) अधी. न्यायालय का निर्णय, स्वयं अपीलांट के कथनों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि मु.नं. 54 कि.नं. 1–10 तथा मु.नं. 56 किला. नं 2–7, 14, 17, 21 कुल 25 बीघा के सम्बन्ध में अधी. न्यायालय के समक्ष वादी व प्रतिवादीगण ने दुरभि संधि कर वाद प्रस्तुत किया जिसे उक्त न्यायालय ने अपने विस्तृत विवेचन में तनकीवार निर्णय कर दावा व प्रतिदावा दोनों खारिज किये।

(b) अपीलांट की स्वयं की स्वाकारोक्ति/दलील है कि मूल आवंटी प्रत्यर्थी के पिता सुखराम पुत्र भगवानाराम को जो अनुसूचित जाति का था जिसे भारत सरकार द्वारा उक्त 25 बीघा भूमि डीपीसीआर एक्ट के प्रावधानों के तहत आवंटित हुई, से उक्त भूमि अपीलांट जोकि सवर्ण जाति का है इकरारनामें द्वारा प्राप्त की जो कानूनन निषिद्ध था।

(c) फलस्वरूप 25.09.1974 को द्वारा दिये गये मूल आवंटी को प्रतिफल देकर कब्जा प्राप्त किया। जिसे डीपी एण्ड सीआर एक्ट के प्रावधान धारा 12(1) के तहत अन्तरण नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप उक्त रकबा उक्त एक्ट के प्रावधानों तथा धारा 42 आर. टी.एक्ट 1955 के तहत प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सं. 1 के नाम उक्त आवंटन उपखण्ड अधिकारी (पूनर्वास) गंगानगर द्वारा 06.08.2013 के अपने आदेश में 24 अप्रेल 1978 के जिला कलक्टर के आदेश का हवाला देते हुए उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार ले लिया जाकर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया।

(d) मा.अति. सिविल न्यायाधीश(व.ख.) श्रीगंगानगर द्वारा दीवानी प्रकरण सं. 109/2001 (7/1999) शीर्षक बचनसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य में आदेश दिनांक 16.04.2002 को प्रकरण खारिज किया गया है। इसी अनुरूप न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 श्रीगंगानगर द्वारा अपील दीवानी सं 14/2002 शीर्षक पवनसिंह व अन्य बनाम मृतक हेमाराम व अन्य में आदेश दिनांक 05.07.2005 से अपील खारिज की गई है। अपीलांट उक्त बेचान की कहानी को सिविल न्यायालय द्वारा भी रजि.विकय विलेख तथा किसी लिखित इकरारनामे के अभाव में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि. धारा 39 को निरस्त किया गया जिनमें वह अपील में भी असफल रहे।

(e) अपीलांट राज्य सरकार द्वारा गंगानगर जिले हेतु विशेष रूप से उक्त एक्ट के तहत मूल आवंटी द्वारा बेचान को विनियमित किये जाने का तर्क किया। किन्तु उक्त बेचान रजि. विलेख द्वारा नहीं किया गया अपितु कथित रूप से इकरारनामा को भी सिविल न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

में साबित नहीं कर सकें तथा ना ही ऐसे सर्कुलर की कॉपी प्रस्तुत की, ना तो इस न्यायालय में व ना ही अपील न्यायालय के समक्ष अपने ही तर्कों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकें।

(f) अपीलांट यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि डी.पी.एण्ड सी.आर एक्ट की धारा 12(1)तथा राज.टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 के प्रावधान उन पर क्यों नहीं लागू होते? और उन्होंने 1978 के जिला कलक्टर के आदेश व उपखण्ड अधिकारी के 2013 के आदेश की अपील तत्समय क्यों नहीं की।

(g) अपीलांट द्वारा उठाए तर्क प्रत्येक स्तर पर मामला मियाद बाहर, कानून के विरूद्ध व प्रचलित प्रावधानों व लोकनीति के प्रतिकूल होने के कारण सिविल व राजस्व न्यायालयों द्वारा अनुचित ठहराये जाने के बावजूद भी जैसाकि अधी. न्यायालय ने अपने विस्तृत तनकीवार निर्णय में विवेचन करते हुए लिखा है कि " वादी/अपीलांट द्वारा बावजूद कानून विरूद्ध अन्तरण को विधिमान्य ठहराने/रेगूलाइज कराने हेतु अनुचित प्रयास किये जाते रहे हैं जो नितांत अनुचित है।"

(h) उपरोक्त विवेचन अपीलांट के विरोधाभाषी व अनर्गल तर्कों तथा मामलें में प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगणों की मौन सहमति तथा विद्वान अधी. न्यायालय के विवेचनात्मक निर्णयों के प्रकाश में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि अपीलांट व प्रत्यर्थी व (वादी–प्रतिवादी) की दुराभिसंधि व षडयन्त्रपूर्वक राजकीय भूमि को कानून विरूद्ध होने के बावजूद अनुचित रूप से वादकारण ना होने पर भी false litigation करके कानून विरूद्ध निर्णय प्राप्त करने की मंशा को परिलक्षित करती है।

लिहाजा यह न्यायालय इस अपील को मय कोस्ट 10000/–खारिज करती है व अधी. न्यायालयों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने से परहेज करते हुए उन्हें उचित कानून की दृष्टि में संधारणीय पाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 1.07.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर